

07.07.85 पत्रावली पैश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अलोकन करने पर जर्जी अ प्रा. प्रा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जा रहा है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा रहा है। पत्रावली बाद तरीक़ा तक़रीबत होकर दाखिल दफ़्तर है।

निर्णय लिखा जाकर जुले आपालप में  
सुनाया गया।

Δ<sup>m</sup>  
( दिव्या सोनी )  
RAS.